पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 04/2020
(OPERATING SAFETY ALEART No.04/2020)

विषयः– दिनांक 03.03.2020 को सोनपुर मंडल के दिनकर ग्रम सिमरिया (डीकेजीएस) स्टेशन पर गाड़ी सं0.13138 के लोको पायलट द्वारा सिगनल "लाल **(ON)**" स्थिति में पास करने के संबंध में ।

दिनांक 03.03.2020 को गाड़ी सं0. 13138 डाउन सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन पर लाईन सं0. 04 में 19:38 बजे आयी । इसे रोककर गाड़ी सं0. 22914 को आगे निकालने (Precedence) के लिए लाईन सं0. 03 से स्टार्टर सिगनल 'OFF' किया गया लेकिन 13138 डाउन के लोको पायलट ने इसे अपनी गाड़ी के लिए सिगनल दिया गया मानकर गाड़ी आगे बढ़ा दी और स्टार्टर सिगनल सं0. S-11 को 'लाल में पार कर Sand hump में चली गई ।

विदित हो कि इस स्टेशन पर लाईन सं0.03 एवं 04 का स्टार्टर सिगनल Right hand side में लगा था एवं लाईन का Arrow Mark अंकित था तथा मोटे अक्षरों में सिगनल का नाम भी लिखा था ।

उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि लोको पायलट ने GR 4.35 (1) एवं SR 4.42 (1) (क) (I) का उल्लंघन किया जिसके फलस्वरूप ऐसी घटना हुई ।

दक्षिण मध्य रेलवे में दिनांक 11.11.2019 को इसी प्रकार की घटना घटी थी जिसके मद्देनजर मुख्यालय द्वारा परिचालन संरक्षा चेतावनी सं0. 04/2019 दिनांक 14.11.2019 के माध्यम से सचेत करते हुए निर्देश दिया गया था जिसका अनुपालन संबंधी रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है ।

1. इस संबंध में GR एवं SR के प्रावधानों के अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों को यह निर्देश दिया जाता है कि जब किसी गाड़ी को आगे निकालने (Precedence) के लिए रोका जाता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा रोकी गई गाड़ी के लोको पायलट को वॉकी–टॉकी (Walkie-Talkie) पर सूचित किया जाएगा कि उनकी गाड़ी Precedence के लिए रोकी गई है तथा उनकी गाड़ी का सिगनल दिए जाने पर सूचित किया जाएगा ।
2. सभी मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि लोको पायलटों/सहायक लोको पायलटों में ऐसी घटना के प्रति सतर्कता एवं सजगता जागृत करने के लिए लोको निरीक्षकों को प्रतिनियुक्त कर एक सप्ताह का काउंसलिंग ड्राईव (Counseling Drive) चलाएं और लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों से आश्वासन के रूप में उनके हस्ताक्षर लिए जाएं ।
3. इस संरक्षा चेतावनी को सभी कू–बुकिंग स्थल/कू–लॉबी के सूचना पट्ट (Notice Board) पर लगाया जाए ।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा मुख्यालय को दिनांक 12.03.2020 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करे ।

(राजपति झा) 04/03/2020
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/सा0
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं0:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505, दिनांक 04.03..2020

प्रतिलिपिः

(1) सचिव, महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर – महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
(2) मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(3) मंडल रेल प्रबंधक – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
(4) प्रधान मुख्य विधुत इंजिनीयर/पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(5) प्रधान मुख्य मैकेनिकल इंजिनीयर/पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(6) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(7) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

प्राप्त
(15) प्रति 13:10 हस्ताक्षरित 05-3-2020